राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1811/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
भौरीलाल कलाल कलालों का मोहल्ला] स्टेशन रोड] बस्सी] जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 11-04-2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, पंचायत प्रसार अधिकारी, उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 17-6-17 के द्वारा अपीलार्थी के पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 18-5-15 पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में कतिपय सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उन्हें अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है, यह भी निवेदन किया कि उन्होंने अपने आवेदन से चाहा था कि उनके पूर्व पत्र पर कोई विधि सम्मत कार्यवाही की गई अथवा नहीं की गई। इस प्रकार की सूचना किसी भी प्रकार से कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही की सूचना नहीं है, अतः सूचना देय है। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 3-10-17 से संसूचित कर दिया गया था कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना अदेय सूचना की श्रेणी में आती है। यह भी निवेदन किया कि हू-बहू प्रस्तुत सूचना के आवेदन पर पूर्व में भी एक अपील संख्या 3851/16 आयोग के निर्णय दिनांक 29-5-17 को निर्णित करदी गई है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 16-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 3-10-17 से बिन्दुवार सूचना के सम्बन्ध में विनिश्चय प्रेषित कर दिया गया है तथा पूर्व में भी इसी प्रकार के आवेदन पर पंजीकृत द्वितीय अपील संख्या 3851/16 निर्णित की जा चुकी है।

8. हस्तगत अपील ग्राह्य एवं पोषणीय नहीं है। अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त